—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 30/2021

उनवान

1. रमेश पुत्र किशनी पिता श्रवणलाल जाति भांबी निवासी ग्राम लीरी का बाडिया, श्रीनगर, हाल निवासी ग्राम लोहागल, अजमेर।
2. रूकमा पत्नी मांगीलाल जाति जाति भांबी निवासी ग्राम लीरी का बाडिया, श्रीनगर, हाल निवासी ग्राम मोतीपुरा, नसीराबाद, अजमेर।

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा

बनाम

1. भंवरी पत्नी सोहनलाल जाति भांबी निवासी ग्राम लीरी का बाडिया, श्रीनगर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. गीता पुत्री किशनी
4. सीता पुत्री किशनी
5. पुष्पादेवी पत्नी ज्ञानचन्द
6. गोविन्द पुत्र ज्ञानचन्द
7. कुसुम पुत्री ज्ञानचन्द समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम लीरी का बाडिया, श्रीनगर, हाल निवासी ग्राम लोहागल, अजमेर।

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— 3 से 7 जरिये अधिवक्ता श्री मौ. वसीम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लीरी का बाडिया की निम्न आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की आवंटनशुदा खातेदारी काश्तकारी की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:46 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
30	1–15–0	445 मिन	1–13–0	648	1.25
		446	0–2–0		
320	2–17–10	445 मिन	0.40	655/1	0.40
321	6–3–10	445 मिन	6–3–10	647	1.03

उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज मांगीलाल पुत्र खेमा को कैम्प श्रीनगर में दिनांक 08.01.1983 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 30, 320 व 321 आवंटन की गयी। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 555 दिनांक 08.01.1983 से दर्ज की गयी। किन्तु वंर्किग जमाबंदी बनाते समय आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व प्रकरण विचारण के दौरान एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यो को स्वीकार किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के पूर्वज मांगीलाल पुत्र खेमा को कैम्प श्रीनगर में दिनांक 08.01.1983 को आंवटन सलाहकार समिति द्वारा चौसाला खसरा नम्बर 30, 320 व 321 आवंटन की गयी। उक्त आराजी नामान्तकरण संख्या 555 दिनांक 08.01.1983 से दर्ज की गयी। किन्तु वंर्किग जमाबंदी बनाते समय आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हाल राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 445 मिन रकबा 13–16–0 वंर्किग जमाबंदी में मांगीलाल पुत्र खेमा के नाम गेर खातेदारी दर्ज था, जो नामान्तकरण संख्या 219 से खातेदारी दर्ज हुआ। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2014 से 2017 में चौसाला खसरा नमबर 30 रकबा 1–15–0, 320 रकबा 2–17–10 व 321 रकबा 6–3–10 की आराजी खाता संख्या 1187 में मांगीलाल पुत्र खेमा के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 555 दिनांक 08.01.1983 से खातेदारी दर्ज हुयी। उक्त आराजी का हाल इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किस नामान्तकरण अथवा आदेश से दर्ज हुयी यह प्रकरण में स्पष्ट नही है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। शेष अप्रार्थीगण ने भी प्रकरण का खण्डन नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रकरण प्रथम प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

Signature Not Verified

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:46 IST
Reason: SelfAttested

अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह देखा जाना आवश्यक है कि यदि व्यादेश नही दिया गया

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज थी। हाल इन्द्राज का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज होने का कोई आधार नही है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम लीरी का बाडिया के हाल खसरा नम्बर 647 रकबा 1.03, 648 रकबा 1.25 व 655/1 रकबा 0.40 की आराजी पर प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:19:46 IST
Reason: SelfAttested